राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान ....मुंगाना.... दिनांक :– ...8/6/2023

–:: आदेश ::–

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ....बालारडा.... व भू–अभिलेख निरीक्षक ....निम्बाहेड़ा.... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **कपासन** की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ....रवलिया खेड़ी.... तहसील **कपासन** जिला **चित्तौड़गढ़** की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या ....37, 38.... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	रवलिया खेड़ी	37	भगवानलाल पुत्र हणारी 1/10 चमार सा. देह खातेदार	भगवानलाल पुत्र हणारी 1/10 जाटिया सा. देह खातेदार
2	रवलिया खेड़ी	38	भगवानलाल पुत्र हणारी 1/10 चमार सा. देह खातेदार	भगवानलाल पुत्र हणारी 1/10 जाटिया सा. देह खातेदार

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/ ....150.... दिनांक :– .....

Signature Not Verified
Digitally signed by Archana Bugalia
Date: 2024.03.02 17:29:11 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपी :–

1. तहसीलदार, ...कपासन....को भजे कर उक्त ई.कि.आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपार्टे भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

( )
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़